

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1978/भाद्र 15, 1900
No. 264] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 1978/BHADRA 15, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1978

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 445(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 148-सीमाशुल्क तारीख, 31 जुलाई, 1978 का अधिकान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकीहित में आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अन्तर्गत आने वाली काफी के, जब उसका निर्यात

भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो प्रति क्विंटल 400 रु. से अधिक है।

[सं. 172/फ. सं. 347/7/78 टी. आर. य.]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 1978

Customs

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 148-Customs dated the 31st July, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 400 per quintal.

[No. 172/F. No. 347/7/78-TRU]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.